(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 124 / 2015

बउनवान

1– हरिबल्लभ आयु 55 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
2– मदनलाल आयु 52 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
3– हरीशचन्द्र आयु 50 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
4– बाबूलाल आयु 48 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
5– घनश्याम आयु 45 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
6– मुकुटबिहारी आयु 42 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
7– मोहनी बाई आयु 40 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
8– ममता बाई आयु 38 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू

(अपीलांटगण)

बनाम

1– नाथूलाल आयु 45 वर्ष पुत्र श्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया तह0 अटरू हाल निवासी ग्राम पो0 सीसवाली तह0 अन्ता जिला बारां
2– कजोडी बाई पुत्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया तह0 अटरू हाल निवासी ग्राम पो0 सीसवाली तह0 अन्ता जिला बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 368 दि. 16.06.2015

उपस्थितिः 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 22.07.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 368 दिनांक 16.06.2015 वाके ग्राम डाबडिया से अप्रसन्न होकर विरूद्व अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 23.06.2015 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के पत्रांक / भू0अ0 / 2015 / 2203 दिनांक 03.07.2015 के साथ इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 3 / 2015 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 24.06.2015 से प्रकरण में राजस्व रिकार्ड की ताफैसला अपील यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाके ग्राम डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं0 40 की खसरा नं0 8/286 की रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नं0 28 की रकबा 0.76 हेक्टर, खसरा नं0 34 की रकबा 2.74 हेक्टर, खसरा नं0 82 की रकबा 3.62 हेक्टर, खसरा नं0 95 की रकबा 1.84 हेक्टर, खसरा नं0 170 की रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नं0 172 की रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नं0 173 की रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नं0 174 की रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नं0 175 की रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं0 176 की रकबा 0.34 हेक्टर कुल 11 किता रकबा 10.47 हेक्टर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें से खसरा नं0 34 की रकबा 2.74 हेक्टर में से 0.49 हेक्टर आराजी सेटलमेन्ट के दौरान अपीलांटगण के खातेदारी से कम करते हुये उक्त रकबा 0.49 सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा सिवायचक दर्ज होने के बाद उपरोक्त आराजियात खसरा नं0 34 की रकबा 0.49 हेक्टर को सिवायचक दर्ज हाने से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की माता रामनाथी बाई बेवा श्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया के नाम दिनांक 02.12.1975 को आवंटन कर दिया गया तथा अपीलांटस/वादीगण ने अपनी सेटलमेन्ट के दौरान कम हुई आराजियात खसरा नं0 34 की रकबा 0.49 हेक्टर को पुनः अपने खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु अपीलांटगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 के तहत दावा माननीय न्यायालय उप जिला कलक्टर, अटरू के यहॉ पेश किया हुआ है। जिसमें अपीलांटगण के पक्ष में स्टे भी हो रहा है।

माननीय न्यायालय उप जिला कलक्टर अटरू के यहॉ से उक्त वाद पत्र में अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 09.09.2014 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। किन्तु उसके बावजूद भी तहसीलदार साहब द्वारा उक्त आराजी का इंतकाल राजस्व लोक अदालत अभियान में दिनांक 16.06.2015 को मृतक रामनाथी के स्थान पर उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि उपरोक्त आराजी अपीलांट के खातेदारी की है। इस तथ्य को तहसीलदार साहब अटरू द्वारा नजर अन्दाज करते हुए उक्त इंतकाल खोला गया है जो काबिज निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा उक्त आराजी से सम्बन्धित स्थगन आदेश न्यायालय उप जिला कलक्टर अटरू की जानकारी होते हुये बिना जांच किये रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष में मिली भगत करके उक्त इंतकाल खोला गया है। तहसीलदार अटरू द्वारा खोला गया इंतकाल काबिज खारिजी योग्य है। तहसीलदार अटरू द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष में खोले गये इंतकाल नं0 368 को निरस्त किया जाना विधी संगत एवं न्यायहित में होगा। क्योंकि उक्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की है तथा जिससे सम्बन्धित अपीलांट के पक्ष में न्यायालय उप जिला कलक्टर अटरू द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 368 दिनांक 16.06.2015 वाके ग्राम डाबडिया तहसील अटरू को निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि उक्त उनवानी प्रकरण दिनांक 23.06.2015 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। जबकि विवादित आराजी के सन्दर्भ में इन्ही पक्षकारान के मध्य नियमित वाद प्रकरण संख्या 29/2014 अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, अटरू में जैरकार है, जिसमें दिनांक 09.09.2014 से स्थगन आदेश हो रहा है। इस प्रकार जब नियमित वाद जैरकार है, तो इंतकाल अपील नहीं चल सकती है, मूल वाद निर्णय तक इंतकाल कार्यवाही स्टे रहेगी इसके सन्दर्भ में विधि के सिद्धान्त स्पष्ट है। इस प्रकार अपील चलने योग्य नही है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 368 दिनांक 16.06.2015 वाके ग्राम डाबडिया तह. अटरू तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। अपीलांटगण द्वारा उक्त इंतकाल निरस्त करवाने हेतु अपील के साथ अपने पक्ष समर्थन में न तो शपथ पत्र/लिमिटेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं न ही तहसीलदार रिपोर्ट व अन्य कोई दस्तावेज की प्रतियॉ आदि पेश नही की गई है। जिससे यह स्पष्ट किया जा सके, कि उक्त भूमि पर मौके पर कौन कब्जे काश्त है एवं क्या पूर्व में आवंटन उपरांत विधिवत् आई.एल.आर. द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को सुदुर्प किया जा चुका था ? साथ ही आवंटन आदेश की पालना में गैरखातेदारी और खातेदारी अधिकार प्राप्ति बाबत् नामांतरकरण राजस्व अधिकारी द्वारा तस्दीक किये जाने बाबत् कोई रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपितु सीधे फौती/विरासत के इंतकाल को चैलेंज किया गया है। वादी वाद का स्वामी होता है। वादपत्र/अपील हेतु प्रमाण/शहादत प्रस्तुत करने में प्रार्थीगण/अपीलांट विफल रहे है। इन्ही पक्षकारान के मध्य नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, अटरू में प्रकरण संख्या 29/2014 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत जैरकार है, जिसमें दिनांक 09.09.2014 से स्थगन आदेश हो रहा है। इस न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा 23.06.2015 को जर्ये अभिभाषक इंतकाल संख्या 368 दिनाकं 16.06.2015 को निरस्त करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई। जबकि न्यायालय उप जिला कलक्टर अटरू में प्रकरण इस दिनांक से पूर्व से ही विचाराधीन चल रहा है। हम एक की कार्यवाही दो न्यायालय में चलाया जाना न्यायोचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 368 दिनांक 16.06.2015 वाके ग्राम डाबडिया से अप्रसन्न होकर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील न्यायालय की विधिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की श्रेणी में सम्मिलित होने के कारण एवं शहादत/ प्रमाण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण खारिज की जाती है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की माता रामनाथी बाई बेवा श्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां की मृत्यु उपरांत खोला गया फौती इंतकाल यथावत रखा जाता है। यदि अपीलांटगण असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ